

एआई के लिए समझौता ज्ञापन सं./MOU for AI No.

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) National Institute of Open Schooling (NIOS)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एनएच-24, सेक्टर - 62, नोएडा, जिला - गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)
A24-25, Institutional Area, NH-24, Sector-62, Noida, Distt.-Gautam Budha Nagar (U.P.)

प्रथम पार्टी /First Party

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)
ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर - 62, नोएडा
National Institute of Open Schooling (NIOS)
A24-25, Institutional Area, Sector-62, Noida

द्वितीय पार्टी /Second Party

(प्रत्यायित संस्था/अध्ययन केंद्र के नाम)
(Name of Accredited Institution/
Study Centre)

समझौता ज्ञापन (एमओयू) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

प्रारंभ में, एक संस्था (एआई) अस्थायी तौर पर प्रत्यायित होगी। एनआईओएस समय-समय पर एआई के लिए निश्चित किए गए नियमों और शर्तों के निरंतर पालन और लागू करने पर यह अवधि बढ़ा सकता है।
Initially, an Institution (AI) would be accredited provisionally. This term can be extended by the NIOS on compliance of the terms & conditions laid down by the NIOS from time to time by the AI.

एनआईओएस द्वारा प्रत्यायित संस्था के प्राचार्य/प्रमुख ही अध्ययन केंद्र के समन्वयक होंगे और बिना किसी डर अथवा पक्षपात के कार्य करेंगे। यदि किसी स्थिति में प्राचार्य त्यागपत्र देते हैं अथवा उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आता है, तो वह नया व्यक्ति प्रत्यायित संस्था (एआई) का समन्वयक होगा। समन्वयक की शक्तियाँ अहस्तांतरणीय हैं। प्राचार्य (समन्वयक) के परिवर्तन के बारे में एनआईओएस को तुरंत सूचित किया जाए जिससे नए व्यक्ति के समन्वयक के रूप में अनुमोदन की सूचना दी जा सके।

The Principal/Head of the Institution accredited by the National Institute of Open Schooling (NIOS) will be the Co-ordinator of the AI and will work without any fear and favour. In case the Principal resigns or is substituted by some other person, the new incumbent shall be the Co-ordinator of the Accredited Institution (AI). The powers of the Co-ordinator will not be transferable. The change of the Principal (Co-ordinator) should be intimated to the NIOS immediately so as to convey the approval of the new incumbent as the Co-ordinator.

प्रत्यायन के पश्चात, एनआईओएस का अध्ययन केंद्र एनआईओएस द्वारा नियुक्त समन्वयक के नियंत्रण में कार्य करेगा।

After accreditation, Study Centre of NIOS will function under the control of Co-ordinator appointed by NIOS.

एनआईओएस माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षार्थियों के प्रवेश निवास के प्रमाण के आधार पर ही किए जाएँ।

Admission of learners for NIOS secondary & Senior Secondary courses must be done on the basis of residence of proof.

कार्य की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर एनआईओएस द्वारा वांछित और संप्रेषित इस प्रकार के कार्यों और गतिविधियों के अतिरिक्त एआई एनआईओएस की ओर से निम्नलिखित कार्य करेगा:-

The Accredited Institution (AI) shall perform the following functions on behalf of the NIOS besides other acts, deeds and function as may be communicated by NIOS from time to time according to the exigencies of the work.



5.1 एआई के समन्वयक को विवरणिका में दिए गए नियमों एवं प्रावधानों को भलीभांति जान लेना चाहिए। एआई प्रसार कार्यक्रम के रूप में निःशुल्क पूर्व-प्रवेश परामर्श कार्यक्रम का आयोजन करेगा।

The Coordinator of the AI should be well conversant with all the rules and provisions given in the prospectus. The AI shall organize pre-admission counseling free of charge as part of the advocacy programme.

5.2 एनआईओएस ने नामांकन कराने वाले शिक्षार्थियों की सहायता के लिए ऑन-लाइन प्रवेश की सुविधा (मदरसा के लिए नहीं) आरंभ की है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप ऑन-लाइन प्रवेश के चार स्ट्रीम होंगे। इसलिए एआई को एनआईओएस में ऑन-लाइन प्रवेश लेने वालों और ऑन-लाइन प्रणाली द्वारा सुपुर्द किए गए एआई के शिक्षार्थियों की सहायता करनी होगी और उनको प्रवेश देना होगा।

NIOS has introduced the facility of on-line admission (Not for Madarsa) in order to facilitate the learners for registration. There would be four streams of on-line admission catering to the needs of the learners. As such, the AIs shall facilitate and enroll the learners who have taken on-line admissions in NIOS and have been allotted the AIs through on-line systems.

5.3 एआई अपने शिक्षार्थियों से अंकतालिका की दूसरी प्रति और अन्य दस्तावेजों के लिए लागू शुल्क के साथ साथ परीक्षा पंजीकरण शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) स्वीकार करेगा और समय सारिणी के अनुसार एनआईओएस को अग्रपिठ करेगा।

The AI shall accept examination registration form with fee (Demand Draft) applicable for duplicate copy of marksheet and other documents from the learner of that AI & forward to NIOS as per schedule.

4 एआई अपने शिक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच/पुनः मूल्यांकन, परिणाम की अनियमितता के मामले अथवा कोई अन्य आवेदन स्वीकार करेगा और समय सारिणी के अनुसार एनआईओएस को अग्रपिठ करेगा।

The AI shall also accept application from the learner of that AI for rechecking/reevaluation of answer books, result discrepancy cases or any other application and forward to NIOS as per the schedule.

5 एनआईओएस द्वारा एआई को परिणाम गज़ट की एक प्रति प्रदान की जाएगी जिसे एआई रखेगा और उसका प्रयोग संबन्धित एआई के शिक्षार्थियों को परिणाम की सूचना देने के लिए करेगा।

One copy of the result gazettee will be provided by NIOS which may be maintained and used to inform the result to the learners of the AI concerned.

5.6 एक एआई का प्रत्यायन एक राज्य शिक्षा बोर्ड/राज्य मदरसा बोर्ड की मान्यता/संबद्धता के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यदि स्कूल की मान्यता/संबद्धता रद्द होती है तो उस एआई का प्रत्यायन स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा।

The accreditation of an AI is linked with recognition/affiliation to a State Board of Education/Madarsa State Board. As such, the accreditation of the AI shall automatically be deemed as withdrawn, in case the recognition/affiliation of the School is withdrawn.

7 यदि शिक्षार्थी एआई से सीधे संपर्क करता है तो एआई को एनआईओएस में ऑन-लाइन प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थी की सहायता करनी चाहिए। एआई के लिए उसकी आबंटित क्षमता/श्रेणी के अनुसार शिक्षार्थियों का नामांकन करना और एनआईओएस द्वारा ऑन-लाइन के माध्यम से आबंटित शिक्षार्थियों को प्रवेश कराना भी अनिवार्य है।

In case the learner approaches the AIs directly, AIs should facilitate the learner for seeking on-line admission to NIOS. It is mandatory for AIs to enroll the learners as per its allocated capacity/category and also admit learners allotted to it through on-line by NIOS.

8 केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार सभी एआई को अपने टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी एक प्रमुख स्थान पर एक अलग बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा। पारदर्शिता और प्रभावशाली रूप से कार्य करने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। एनआईओएस के शिक्षार्थियों और एनआईओएस के साथ ई-मेल के माध्यम से पत्राचार को एआई को सदैव सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यालयी रिकॉर्ड के लिए ई-मेल की प्रति रखी जानी चाहिए।



As per the directions of the Central Vigilance Commission, the AIs are required to display the telephone numbers and E-mail IDs on a separate board at a prominent place. They should respond to the queries of the learners for the purpose of ensuring transparency and effective functioning. Correspondence through E-mail with NIOS and learners of NIOS should be effectively promoted by the AI at all times. Print out of e-mail should be retained for official records.

5.9 एआई एनआईओएस की गतिविधियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखेगा और जब कभी एनआईओएस के लिए किसी कार्यालयी कार्य के लिए आवश्यकता होगी, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

The AI shall maintain all records pertaining to NIOS activities and make them readily available as and when required for official work.

5.10 एआई के लिए मानक कार्य प्रणाली (SOP) इस समझौता ज्ञापन एमओयू का ही अंग है और नए एसओपी के सभी प्रावधान सभी एआई के लिए बाध्य हैं। सभी एवीआई नए एसओपी के अनुसार सारे कार्य करेंगे और सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से इसका पालन करेंगे।

The Standard Operating Procedure (SOP) for AI forms the part of this MOU and all provisions of the SOP in force are binding on the AI. The AI shall discharge the functions, in view of the SOP and follow in letter and spirit.

11 शैक्षिक वर्ष के दौरान, एआई को प्रति विषय कम से कम 30 व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) कक्षाएं और जिन विषयों में प्रयोग भी शामिल हैं उनमें 35 पीसीपी कक्षाएं (30 पीसीपी सिद्धांत के लिए और 5 पीसीपी प्रयोग के लिए) आयोजित करनी होंगी और शिक्षार्थियों को बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए कक्षाओं में भाग लेने के लिए अनुमति देनी होगी।

During the academic year, the A.I. shall conduct at least thirty (30) Personal Contact Programmes PCPs per subject and thirty five (35) PCP classes (30 PCP of theory and 5 PCP for practical) in case of subjects having practical and would allow the learners to attend classes without any extra charge.

12 अध्ययन सामग्री/कोई अन्य सामग्री के अवितरित पैकेट संबंधित शिक्षार्थियों को उचित रूप से सौंपने के लिए संबंधित एआई को भेज दिए जाते हैं। एआई सुनिश्चित करेगा कि अध्ययन सामग्री/कोई अन्य सामग्री के ये पैकेट सही व्यक्ति को समय पर सौंपे गये हैं।

The undelivered packets of study material/any other material are sent to the respective AI by NIOS for proper delivery to the concerned learners. The AI shall ensure that such packets of study material/any other material are handed over to the right person on time.

13 एआई यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक विषय में एक अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए) अवश्य जमा किया जाए। एआई शिक्षार्थियों के निर्धारित संख्या में टीएमए का मूल्यांकन विद्यालय अथवा बाहर के सक्षम शिक्षकों से कराए और ग्रेड सूची/अंक सूची एनआईओएस के संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को निर्धारित समय अवधि में अग्रेषित कर दे। टीएमए के मूल्यांकन की किसी शिकायत के मागते में एआई एनआईओएस से परामर्श करके उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

The AI shall ensure compulsory submission of one Tutor Marked Assignment (TMA) in each subject. The AI shall get the TMA of learners evaluated by the competent teachers from the School or from outside, and to forward the grade list/award list to the concerned Regional Centre of NIOS within the stipulated time period. In case of any complaint regarding evaluation of TMA, the AI shall take appropriate remedial measures in consultation with NIOS.

5.14 आवश्यकता पड़ने पर, एआई एनआईओएस के निर्देशानुसार स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से आवश्यक सुविधाएं, स्टाफ इत्यादि उपलब्ध कराकर एनआईओएस की बाह्य परीक्षा आयोजित करेगा और सभी आवश्यक गोपनीयता एवं दक्षता बनाए रखेगा। एआई के समन्वयक केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। यदि परीक्षा के आयोजन में कोई कमी पाई जाती है या परीक्षा आयोजन के दौरान परीक्षा केंद्र के अनुचित कार्यों में संलग्न होने का प्रमाण मिलता है तो उस एआई के विरुद्ध अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जायेगी जो एमओयू की समाप्ति के रूप में भी हो सकता है और एआई पर एसओपी के अनुसार दंड भी लगाया जा सकता है।

If need be, the AI shall conduct external examination of NIOS by providing necessary facilities, staff etc. in a free and fair manner and maintain all necessary confidentiality and efficiency as per the directions of NIOS. The Coordinator of AI will act as Centre Superintendent. Any deficiency in the conduct of examination or any evidence of the involvement of examination centre in unfair means during the conduct of examination would render the AI liable to disciplinary and legal action including termination of the MOU and a penalty as per the SOP.

5.15 एआई को एनआईओएस के उद्देश्यों के लिए कार्य करना होगा और अनपेक्षित लाभ पाने के लिए यह ना तो एनआईओएस के शिक्षाथियों से, न ही किसी अन्य अधिकारियों से कोई लाभ उठाएगा। बाहर के किसी भी व्यक्ति को अध्ययन केंद्र की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

The AI shall work for the cause of NIOS and shall neither exploit the NIOS learners nor any other authority for gaining undue favour. No outside person will be allowed to interfere in the functioning the Study Centre.

16 एआई समय-समय पर उसे सूचित किए गए निर्देशों के अनुसार शिक्षार्थियों के लिए अपेक्षित सफाई, स्वच्छता, समुचित हवादार वातावरण और अन्य सुविधाओं से संबंधित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

The AI shall ensure provision of all requirements regarding sanitation, cleanliness, proper ventilation and other facilities required for the learners as communicated to the AI from time to time.

एनआईओएस के नियमानुसार एआई पीसीपी तथा अन्य आकस्मिक कार्यों के आयोजन के लिए समन्वयक और कोर स्टाफ (सहायक, चपरासी एवं ऐसे अन्य व्यक्ति जो एनआईओएस से मानदेय के हकदार हैं) के लिए भुगतान करेगा। एआई शेष राशि को सचिव, एनआईओएस, सेक्टर- 62, नोएडा (उ.प्र.) के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से लौटाएगा। एआई को एनआईओएस की निधि से किए गए भुगतान के प्रमाण एसओपी में दिए गए निर्देशों के अनुसार रखने होंगे।

The AI will pay to the Co-ordinator and the Core Staff (Assistants, Helpers and other such persons who are entitled for remuneration from NIOS) for conduct of PCP and other incidental services as per the norms of NIOS. The AI will return the balance amount to NIOS through Bank Draft drawn in favour of Secretary, NIOS Sector-62, NOIDA(UP). The payment proofs, made out of NIOS funds will be maintained and preserved by the AI as per the guidelines given in SOP.

एनआईओएस ने शैक्षिक सलाहकारों (अकेडमिक फैसिलिटेटर) द्वारा किए गए दौरों की प्रणाली को अपनाया है। एआई के समन्वयक शैक्षिक सलाहकार को एआई का दौरा करने देंगे और उन्हें आवश्यक सूचना एवं सुविधाएं प्रदान करेंगे।

NIOS has adopted the system of visits of AIs by the Academic Facilitators. The Coordinator of the AI should allow the visit of Academic Facilitator at the AI and provide him the required information and records etc.

8. एआई एनआईओएस के निर्देशों एवं शर्तों के अनुसार समुचित कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

The AI shall provide and maintain proper classrooms, library, laboratories and other facilities as per the directions and conditions laid down by NIOS.

9. एआई को उन सभी शर्तों, निर्देशों और अनुदेशों का पालन करना होगा जिन्हें समय-समय पर एनआईओएस अपने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए और मुक्त शिक्षा के लक्ष्य को संतोषजनक रूप से प्राप्त करने के लिए जारी करेगा।

The AI must comply with all such terms, directions and instructions which may be issued from time to time by NIOS for the purpose of Open and Distance Learning (ODL) programme and endeavour for achieving Open Learning objective satisfaction.

10. एआई एनआईओएस द्वारा गति दलों द्वारा एआई/परीक्षा केंद्र के निरीक्षण करने में उन्हें सहयोग करेगा।

The AI will co-operate in the inspection of the AI/Examination Centre by the teams constituted by NIOS.



समन्वयक, "समन्वयक - एनआईओएस (

संस्था का नाम

नाम से एक बचत बैंक खाता खोलेगा और साथ ही कार्य कर रही ई-मेल आईडी भी रखेगा।
The Co-ordinator shall open and maintain a savings Bank Account entitled "Co-ordinator-

NIOS (Name of the institution)" along with its operational E-mail ID.

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान शिक्षार्थियों के उपयोग के लिए ऑडियो और वीडियो कैसेट/सीडी एआई को निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करेगा। एआई अपने वीडियो और टेलीविजन तथा ऑडियो कैसेट चलाने वाले उपकरणों का निःशुल्क प्रयोग एनआईओएस द्वारा दी गई ऑडियोवीडियो सामग्री के लिए करेगा। एआई शिक्षार्थियों के लाभार्थ मुक्त विद्या वाणी के प्रसारण हेतु कार्यक्रम में उचित समय का प्रावधान करेगा।
The National Institute of Open Schooling shall endeavour to provide Audio and Video Cassettes/CDs free of charge to the AI for the use of the learners. The AI will use its Video Player Television and Audio Cassettes playing equipments for making use of Audio/Video materials supplied by NIOS. However, the AIs will not be entitled for any amount on account of use of video, television and audio playing equipments. The AI should make provision of suitable slots in its programme for the broadcast of Mukta Vidya Vani for the benefit of learners.

समय-समय पर एनआईओएस द्वारा एआई के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। एआई के कार्यों के आधार पर लागू प्रावधानों एवं प्रक्रिया के अनुसार प्रोत्साहन अथवा पुरस्कार के लिए मामले पर विचार किया जाएगा। उनके कार्यों के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ एआई को चुना जाएगा और उसे ट्रॉफी दी जाएगी।
The performance of AIs will be reviewed by NIOS from time to time. Based on the performance of the AI, the case may be considered for incentives or award as per the provisions and procedure in force. Depending upon their performance one best AI will be selected every year and the best AI trophy will be given to the best of these AI.

एनआईओएस के पास उसे और उसके शिक्षार्थियों को हुई वास्तविक क्षति के कारण प्रत्यायन वापस लेने/ रु. 15000/- (पंद्रह हजार रुपए केवल) का दंड लगाने का अधिकार सुरक्षित है। अप्राधिकृत कार्यों की सांकेतिक सूची जिन्हें करने पर दंड दिया जा सकता है, नीचे दी गई है:-
The NIOS reserves the right to withdraw Accreditation and/or impose penalty of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen thousand) in terms of actual loss caused to NIOS & its learners. A suggestive list of unwarranted acts that may attract imposition of penalties are given below:

एनआईओएस द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षार्थियों को आवश्यक शैक्षिक और प्रशासनिक सहायता न देना।
Failure to provide necessary academic and administrative support to the learners as per norms fixed by NIOS.

सेवा शुल्क अथवा अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकार करना।
Accepting extra money towards service charges or for any other tasks.

एसओपी में निर्दिष्ट किए अनुसार एनआईओएस से प्राप्त वित्तीय लेनदेन और स्टॉक का सही रिकॉर्ड बनाकर न रखना।
Non-maintenance of proper records of financial transactions and stocks received from NIOS, as mentioned in SOP.

एनआईओएस द्वारा दिए गए कार्यों के अतिरिक्त एनआईओएस निधि के उपयोग से संबंधित वित्तीय अनियमितताएं।
Financial irregularities relating to the use of NIOS funds for purposes other than those laid down by NIOS.



कोई ऐसे विचार या उद्देश्य को विकरित या प्रचारित करना जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध हो।
Promoting and propagating an idea/objective that is against the solidarity, sovereignty and unity of the Country.

संतोषजनक कक्षाओं, प्रयोगशाला और पुस्तकालय इत्यादि मूलभूत सुविधाओं में गिरावट और न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उन्हें सुधारने में अरुचि।
Deterioration of physical facilities and unwillingness to improve them to meet minimum requirements in terms of satisfactory classrooms, laboratory and library facilities.

एनआईओएस परीक्षाओं के संचालन के लिए भवन और कर्मचारी देने से मना करना।
Refusal to provide building and staff for the conduct of NIOS Examinations.

परीक्षा के दौरान अनुचित कार्यों को बढ़ावा देना।
Abetting unfair-means during the conduct of examination.

परीक्षा केंद्र का अपर्याप्त पर्यवेक्षण जिससे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के आयोजन के दौरान शिक्षार्थी अनुचित साधनों का उपयोग/सामूहिक नकल करते हैं।
Lack of supervision of the Examination Centre enabling learners to use unfair means/mass copying during the conduct of examination at the Examination centre.

लगातार दो वर्षों तक सत्रों में 10 से कम शिक्षार्थियों का प्रवेश लेना।
Admission of less than 10 learners for sessions for two consecutive years.

एनआईओएस के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दी गई भागीदारी की शर्तों को पूरा न करना।
Non-fulfillment of conditions of partnership as indicated in the Memorandum of Understanding (MOU) entered into with NIOS.

लगातार दो वर्षों तक एआई के खराब शैक्षिक प्रदर्शन और प्रदर्शन का स्तर सुधारने में समर्थ न होना।
Poor academic performance of the AI for two consecutive years and not being able to keep the level of performance.

प्रवेश, परीक्षा और अन्य दिए गए कार्यों से संबंधित कोई अन्य बुरा व्यवहार, जिससे एनआईओएस की दृष्टि में संस्था का प्रत्यायन तुरंत वापस ले लेना चाहिए।
Any other misconduct in connection with the admission, examinations and other assigned tasks, which in the opinion of NIOS warrants immediate withdrawal of accreditation of the institution.

किसी ऐसी जानकारी का खुलासा न करना जिससे एआई शैक्षिक सत्र के दौरान बंद भी हो सकता है।
Non-disclosure of any information that leads to the closure of the AI during academic session.

एनआईओएस के नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त शुल्क लेकर कोचिंग/सहायक कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए एनआईओएस सामग्री का व्यावसायिक उपयोग।
Commercial usage of NIOS material for imparting education in the coaching/remedial classes by charging any amount that is not prescribed in NIOS norms.

शिक्षार्थियों से प्रवेश या परीक्षा के लिए एनआईओएस द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि लेना।
Charging an amount from the learners over and above the amount prescribed for admission or examination fee by NIOS.

एनआईओएस के एमओपी के संदर्भ में किसी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करने और सुधुर्ण कार्यों के बारे में एनआईओएस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर संस्था के प्रशासक को निम्नलिखित अथवा रेफर करने का अधिकार एनआईओएस के पास सुरक्षित है।

In case of breach of any of the terms and conditions and non-compliance of directions/guidelines given by NIOS in the context of its SOP, the NIOS reserves the right to suspend or cancel the Accreditation of the institution.

14.20 एन-संयुक्त प्रणाली के माध्यम से एनआईओएस द्वारा दिए गए शिक्षणियों को नज़रबंद करने से गना जाएगा।

14.19 Refusal to enroll learners allotted to AI by NIOS through its online admission system.

14.18 किसी बाहरी एजेंसी को शिक्षणियों के विवरण का खुलासा करना।

14.17 Disclosure of particulars of the learners to any external agency.

14.20 किसी भी कार्य दियस पर एनआईओएस के प्राधिकृत कर्मचारी को एनआई का निरीक्षण करने से मना करना।
Refusal to NIOS authorized official to inspect the AI on any working day.

14.21 एनआई एनआईओएस की गतिविधियों से संबंधित सभी रिकॉर्ड तैयार रखना और जब भी सूचना का अधिकार के अंतर्गत अधिनियम के उद्देश्य से उसकी आवश्यकता होगी उसे एनआईओएस के लिए शीघ्र उपलब्ध करारणा।

The AI shall maintain all records pertaining to NIOS activities and keep readily available for NIOS whenever, the same is required for the purpose of providing information under Right to Information Act.

14.22 किसी नियम एवं शर्त के उल्लंघन करने और सुधुर्ण कार्यों के बारे में एनआईओएस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर, संस्था वा प्रत्यायन निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार एनआईओएस के पास सुरक्षित है।
In case of breach of any terms and condition and non-compliance of directions/guidelines given by NIOS in the context of assigned tasks, the NIOS reserves the right to suspend or cancel the Accreditation of the institution.

14.23 एनआईओएस अपने कर्मचारियों के दल अथवा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किसी भी कार्य दियस पर किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना दिए एनआई के कार्यों, मूलभूत सुविधाओं, प्रशासनिक कार्यों आदि का निरीक्षण कर सकता है।
NIOS may at any point, inspect the working, infrastructure, administrative functioning etc. of the AI without prior notice on any working day at any time by a team comprising officials of NIOS / or a delegated official.

14.24 यदि एमओयू से उत्पन्न अथवा उसके संबंध में द्वितीय पार्टी और प्रथम पार्टी के बीच कोई विवाद होता है तो वह विवाद प्रथम पार्टी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को दिया जाएगा जिसका निर्णय द्वितीय पार्टी के लिए अंतिम और बाध्य होगा।

In case of dispute arising between the party of the second part and party of the first part arising out of or in relation of the MOU, the dispute shall be referred to the sole arbitrator appointed by the party of the first part whose decision shall be final and binding on the party of the second part.

14.25 यदि दोनों पार्टियों के बीच में कोई विवाद होता है तो सभी मामले नोडा के न्यायालय में निपटारा जार्यो और क्षेत्राधिकार सिर्फ नोडा (उ.प्र.) के न्यायालयों का होगा।

In case of any dispute arising out of the relation between the parties, the jurisdiction of the Courts and Tribunals will be at the Court of Law, NOIDA (UP).

14.26 समन्वयक उपर्युक्त नियम एवं शर्तों का पालन करेगा और अगर किसी समय एनआईओएस उसे किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाता है तो एनआईओएस समन्वयक के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है।

The Coordinator shall abide by the above terms and conditions and in case, at any time, it is observed by the NIOS that he/she is deviating from any of the terms and conditions, NIOS may take appropriate action against the Co-ordinator.



27 यदि उपर्युक्त नियम और शर्तें एआई को स्वीकार्य हैं तो अपनी स्वीकृति के लिए दिए गए स्थान पर वह हस्ताक्षर करे जिससे ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार और भविष्य में लागू किए जाने वाले नियमों और शर्तों के अधीन एआई के रूप में कार्य करने के लिए विद्यालय/संस्था/मदरसा को अनुमति दी जा सके।
In case, the above stated terms and conditions are acceptable to the AI, the acceptance thereof be indicated by putting signatures in the space provided, so that the School/Institution/Madarsa may be allowed to act as an AI in accordance with the terms & conditions, stipulated herein above, and subject to such terms & conditions which may be enforced in future.

28 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर वाले दिन विभिन्न कोणों से लिए गए विद्यालय के भवन, एक कक्षा, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय के फोटो अवश्य जमा किए जाने चाहिए।
Photographs of the School from different angles of the building including one classroom, laboratory, and library must be submitted on the day of signing the MOU.

उपर्युक्त समझौता ज्ञापन में दिए गए नियमों और शर्तों पर हमारी स्वीकृति के रूप में _____ दिन _____ माह सन दो हजार को हस्ताक्षरकरते हैं।

We put our hands on this _____ day of _____ month Two Thousand _____ as a token of our accepting the terms and conditions as set forth in the above Memorandum of Understanding.

एनआईओएस के लिए और उसकी ओर से, प्रथम पार्टी
For and on behalf of NIOS


हस्ताक्षर/Signature 
नाम/Name: Bhawna
सचिव (एनआईओएस) 
Secretary (NIOS)
कार्यालयी मुहर/Official Stamp
स्थान/Place गवानी/ध्यानी/Bhawna dhyani
संयुक्त निदेशक (वि.स.से.) / Jt. Director (SS)
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
भारत सरकार/Govt. of India
ए-24-25, सेक्टर-62, नोएडा-201309/A-24-25, Sector-62, Noida-201309


गवाह
Witnesses
Nay
(हस्ताक्षर) 18/7/19
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
Neena Golani
Asst Director


Nay
(हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
Kiran
Section officer



संस्थान के लिए और उसकी ओर से, द्वितीय पार्टी
For and on behalf of the Institution/Madarsa

हस्ताक्षर/Signature 
नाम/Name Dr. Purindran K. Sree Narayana Guru
पदनाम (प्राचार्य/ Designation (Principal)
कार्यालयी मुहर/Official Stamp College of Commerce
स्थान/Place Mumbai Chembur, Mumbai - 400 089
तिथि/Date: 10.02.2018

गवाह
Witnesses

1. (हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
P. S. P. HINDUJA
103 LORD KRISHNA APT.
KHEMANT RD. ULHASNAGAR - 421002.

2. 
(हस्ताक्षर)
(Signature)
नाम और पता
Name & Address
Khudabaxi Rahma
K.D. Yashwantrao Chavan
P. U. Throat Marg
Chembur, Mumbai 400